न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
129/2019 (RCMS 2019/00075)	19.07.2019	01.10.2019

अनवान

भगवानलाल पिता मोडा जाति चमार उम्र 19 साल निवासी पचतोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. बाबुलाल पिता मोडा जाति चमार उम्र 19 साल निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रतनलाल पिता मोडा जी नाबालिग जरिये बविललायत माता नंदू बेवा मोडा जाति चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. दुर्गा देवी पुत्री मोडाजी चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. नंदू बेवा मोडा जाति चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. बैंक आफ बडौदा शाखा सेंती चित्तौड़गढ़ जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेंती जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र शर्मा	वादी
	अधिवक्ता श्री किशन कुमावत	प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 6
	एक तरफा	प्रतिवादी संख्या 5

–:: वादपत्र खातेदारी घोषणा आराजीयात अंतर्गत धारा 88 राज0टिनेंसी एक्ट ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात गांव बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 180 रकबा 1.51 हैक्टर आराजी संख्या 181 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.04 हैक्टर एवं मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 157 रकबा 0.2050 हैक्टर आराजी संख्या 168 रकबा 0.03 हैक्टर आराजी संख्या 169 रकबा 0.10 हैक्टर आराजी संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

171 रकबा 0.08 हैक्टर आराजी संख्या 174 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 175 रकबा 0.24 हैक्टर आराजी संख्या 177 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी संख्या 179 रकबा 0.47 हैक्टर आराजी संख्या 646/158 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.5050 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा मुताबिक वादपत्र है। वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के पति एवं 04 के पिता मोडा पिता जयराम जी का आज से करीब 20 वर्ष पूर्व जब वादी अपनी माता के गर्भ में पल रहा था तब हो चुकी थी। उक्त दोनो ही खातो वाली आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का समान हक हिस्सा यानि 1/5 1/5 हक हिस्सा निहित है। मोडा जी की मृत्यु के बाद जब वादी प्रतिवादी संख्या 1 के गर्भ रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने परिशिष्ठ अ वाली आराजीयात का इंतकाल अपने नाम खुलवा लिया परन्तु वादी का नाम जन्म नहीं होने के कारण अंकित नहीं हो सका इसलिए वादी को भी वादपत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम भी अंकित किये जाने हेतु यह वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश है। वादपत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम जरिये विरासत इंतकाल नम्बर 189 दिनांक के 07.02.2008 को दर्ज राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। वादी मोडाजी का जायंदा पुत्र होने के कारण वादपत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/5 हक हिस्सा जन्म से निहित होने से वादी को परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजीयात में से 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें। दिनांक 26.05.2019 को वादी को अपने हक हिस्से की आराजीयात को उन्नत करने के लिए केसीसी बनवाने के लिए बैंक में जाने पर बैंक द्वारा आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी की नकल की आवश्यकता होने से वादी को वाद कारण पैदा होकर निरंतर जारी है। अतः वादी की प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 के परिशिष्ठ अ में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम अंकित कराये जाने की घोषणात्मक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री जारी फरमाई जावें। अन्य अनुतोष जो वादी पाने का अधिकारी हो प्रदान किया जावें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 02.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 तक की और से उनके अधिवक्ता किशन कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 तक की और से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। दिनांक 09.09. 2019 को प्रतिवादी संख्या 5 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 09. 09.2019 को अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में वादी भगवानलाल पिता मोडा जाति चमार निवासी पचतोली का शपथ–पत्र पेश किया जो कि PW-1 है। साक्ष्यवादी में वादी भगवान लाल द्वारा दस्तावेजात प्रद्र्शित करवायें गये जो कि मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 92 जो कि प्रदर्श–1 है। मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया की नकल नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 20.03.2002 जो कि प्रदर्श–2 है। मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया की नकल नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 08.02.2008 जो कि प्रदर्श–3 है। इसके साथ ही अविधवक्ता वादी द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह वादी नहीं की गई एवं साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई।

दिनांक 20.09.2019 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस पत्रावली की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों का दौहराया एवं वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाबदावें में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात शपथ पत्रों का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किया। चिंतन, मनन किया गया। वादी का पारिवारिक सजरा मुताबिक वादपत्र है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी को पिता से विरासत से मौजा बिलोरा की आराजीयात प्राप्त हुई है जिसकी ताईद प्रदर्श–3 से होती है, चूंकि आराजीयात जैरबहस पैतृक है जो कि प्रतिवादीगण को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी ताईद प्रदर्श–2 है होती है ऐसी स्थिति में वादी का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के विधिक प्रावधानों के अध्यधीन वादी का अपने पिता की संपत्ति में हक अधिकार जन्म से निहित है। ऐसी स्थिति में वादी अपने पिता की आराजीयात जैरबहस में अपने हक अधिकारों की घोषणा करायें जाने का अधिकारी है, जिसे उभयपक्षकारान भी स्वीकार किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। वादी केहक अधिकारों की घोषणा का प्रश्न है, हक अधिकारों की घोषणा करने का अनन्य अधिकार क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

उपुर्यक्त विश्लेषण्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 180 रकबा 1.51 हैक्टर आराजी संख्या 181 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.04 हैक्टर का भगवानलाल पिता मोडा सा0 पचतोली 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। रहन बदस्तूर रखा जावें। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

भगवानलाल पिता मोडा जाति चमार उम्र 19 साल निवासी पचतोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. बाबुलाल पिता मोडा जाति चमार उम्र 19 साल निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रतनलाल पिता मोडा जी नाबालिग जरिये बविललायत माता नंदू बेवा मोडा जाति चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. दुर्गा देवी पुत्री मोडाजी चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. नंदू बेवा मोडा जाति चमार उम्र वयस्क निवासी पचतोली ग्राम पंचायत तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. बैंक आफ बडौदा शाखा सेंती चित्तौड़गढ़ जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेंती जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र खातेदारी घोषणा आराजीयात अंतर्गत धारा 88 राज0टिनेंसी एक्ट ::–

प्रकरण संख्या :– 129/2019
(RCMS 2019/00075)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू **श्री रमेशचन्द्र शर्मा** अधिवक्ता वादी **श्री किशन कुमावत** अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बिलोरा पटवार हल्का सेमलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 180 रकबा 1.51 हैक्टर आराजी संख्या 181 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.04 हैक्टर का भगवानलाल पिता मोडा 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। रहन बदस्तूर रखा जावें। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.10.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official